भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 375
22 जुलाई, 2026 को उत्तर दिया गया

मत्स्यपालन, जलाशय और अमृत सरोवर

375 डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे :
डा. कविता पाटीदार:
श्री रामराव सखाराम वाडकुटे:
श्री केसरीदेवसिंह झाला:
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:
डा. दिनेश शर्मा:
श्री नरेश बंसल :
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:
श्री उज्जवल देवराव निकम:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के समेकित विकास की पहल के उद्देश्य और मुख्य घटक क्या-क्या हैं;

(ख) क्या इस पहल को लागू करने के लिए जलाशयों और अमृत सरोवरों की पहचान की गई है और यदि हाँ, तो इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) इस पहल के तहत मछली पालक उत्पादक संगठनों, महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों और मत्स्य पालन सहकारी समितियों को शामिल करने की प्रस्तावित योजना क्या है; और

(घ) इस पहल को लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों के अंशदान सहित नियोजित निवेश कितना है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में देश के 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास के माध्यम से मात्स्यिकी और जलकृषि के विकास की घोषणा की है; यह पहल जलाशयों और अमृत सरोवरों से अप्रयुक्त मात्स्यिकी क्षमता का उपयोग करने, जलाशयों के मछुआरों की आजीविका को सुदृढ़ करने तथा अमृत सरोवरों एवं जलाशयों में मात्स्यिकी के विकास के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs), मात्स्यिकी सहकारी समितियों और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) को शामिल करने के सरकार के उद्देश्य को सुदृढ़ करती है; इस तरह की पहलों के कार्यान्वयन के लिए परिकल्पित प्रमुख घटकों में हैचरी की स्थापना करके गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को मजबूत करना, जलाशय में केज और पेन कल्चर को बढ़ावा देना, जलाशय के मछुआरों को नावें और जाल उपलब्ध कराना, अमृत सरोवर में मिश्रित मत्स्यपालन तथा एकीकृत मत्स्यपालन को बढ़ावा देना एवं फिश फीड मिल, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, फिश कियोस्क तथा रिटेल फिश मार्केट, फिश ट्रांसपोर्ट वाहन और फिश वैल्यू एडेड इकाई जैसे मात्स्यिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना शामिल है।

(ख): भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से 351 जलाशयों और 100 अमृत सरोवरों का चयन किया है; यह चयन चिन्हित जलाशयों और अमृत सरोवरों में पानी की बारहमासी उपलब्धता तथा उनकी मात्स्यिकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचियों के आधार पर किया गया था।

(ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार देश में मछुआरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास के तहत मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs), महिला नेतृत्व वाले समूहों और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को बढ़ावा दे रहा है; इसमें चयनित जलाशयों और अमृत सरोवरों में नए मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs), महिला नेतृत्व वाले समूहों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन करने के साथ-साथ पहले से मौजूद संगठनों/समितियों को सहायता प्रदान करना शामिल है।

(घ): जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास के कार्यान्वयन के लिए निवेश, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर आधारित होगा; इसकी इकाई लागत और वित्तपोषण का पैटर्न प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना)PMMSY) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
